<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 170/2015

संस्थापन दिनांक 13.04.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-राजेश पुत्र हीरालाल वाल्मीक उम्र 28 साल 2-छोटे पुत्र हीरालाल वाल्मीक उम्र 35 साल 3-हीरालाल पुत्र मनोहर वाल्मीक उम्र 60 साल निवासीगण ग्राम मकाटा थाना मौ जिला भिण्ड

- अभियुक्तगण

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 323/34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.02.14 को 06:00 बजे ग्राम मकाटा थाना मौ जिला भिण्ड पर रमेश अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 20.02.14 को प्रातः 6 बजे फरियादी रमेश अ0सा01 अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ा था तब पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण आये और मां—बहन की अश्लील गालियां देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो राजेश ने कुल्हाड़ी मारी जो दाहिने हाथ की कोहनी के उपर लगी। ममता अ0सा02 बचाने आई तो छोटा ने डण्डा मारा जो बांये हाथ की कलाई में लगा हीरालाल ने लातों से मारपीट की जाते समय आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात फरियादी रमेश अ0सा01 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क0 72/14 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
- 3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है

बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या घटना दिनांक 20.02.14 को 06:00 बजे ग्राम मकाटा थाना मौ जिला भिण्ड पर रमेश अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

फरियादी रमेश अ०सा०1 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश पर से आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था तब आरोपीगण लाठी लेकर आ गये थे तब ममता अ०सा०2 बचाने आई तब धक्के में गिरने से उसे व ममता अ०सा०2 को चोटें आई थीं। उसने आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी एफआईआर प्र०पी—1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आई थी। नक्शामौका प्र०पी—2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 20.02.14 को आरोपीगण ने उसकी व ममता की मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि राजेश ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो दाहिने हाथ की कोहनी में लगी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. ममता अ०सा०२ ने कथन किया है कि रमेश अ०सा०1 उसका पित है। दो वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश पर आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। जब वह बचाने आई तब धक्के में गिरने से उसे व रमेश अ०सा०1 को चोटें आईं थीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 20.02.14 को आरोपीगण ने उसकी और रमेश की मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि राजेश ने उसके पित रमेश अ०सा०1 को कुल्हाड़ी मारी थी जो दाहिने हाथ की कोहनी पर लगी थी।

अतः स्वयं फरियादी रमेश अ०सा०1 और आहत ममता अ०सा०2 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों साक्षीगण ने स्पष्ट इंकार किया है कि राजेश ने कुल्हाड़ी से रमेश अ०सा०1 को उपहित पहुंचाई थी। उक्त दोनों साक्षीगण स्वयं आहत होकर महत्वपूर्ण साक्षी हैं परन्तु उनके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 20.02.14 को ०६:०० बजे ग्राम मकाटा थाना मौ जिला मिण्ड पर रमेश अ०सा०1 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।

- 8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0